संख्या-128/2017/2274/26-3-2017-10(10)/2005-टी0सी0-1

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 22 अगस्त, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन हेतु शेष 07 माहों (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-59/2017/910/26-3-2017/10(10)/2005 टी.सी.।, दिनांक-26.04.2017 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-669-70/ स0क0/ आ0प0वि0-प्रकोष्ठ (69)/बजट-ए0टी0एस0/2017-18, दिनांक-10.08.2017 एवं पत्र संख्या-674-75/स0क0/ आ0प0वि0-प्रकोष्ठ (59)/बजट-ए0टी0एस0/2017-18, दिनांक-11.08.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी- 1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन हेतु निम्न विवरण के अनुसार प्राविधानित **धनराशि रूपया-12440.46 लाख (रूपया-एक अरब चैबीस करोड़ चालीस लाख छियालिस हजार मात्र)** के सापेक्ष शेष 07 माहों (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) हेतु अवशेष **धनराशि रूपया-7288.034 लाख (रूपये बहत्तर करोड़ अठ्ठासी लाख तीन हजार चार सौ मात्र)** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निदेशालय, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख रू0 में

अनुदान संख्या/योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2017-18	प्रथम 05 माह हेतु (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017) स्वीकृत की गयी धनराशि	अवशेष 07 माह (सितम्बर 2017 से मार्च 2018 तक) हेतु स्वीकृत की जा रही धराशि
अनुदानसंख्या-**83**-आयोजनागत-**2225**-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-**01**-अनुसूचित जातियों का कल्याण-**789**-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-**12**-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

01-वेतन-	1121.88	467.45	654.43
02-मजदूरी	430.00	179.16	250.84
03-मंहगाई भत्ता	67.31	23.37	43.94
04-यात्रा व्यय	3.90	1.62	2.28
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय-	1.73	0.72	1.01
06-अन्य भत्ते	60.51	25.21	35.3
07-मानदेय-	1.00	0.416	0.584
08-कार्यालय व्यय-	12.00	5.00	7.00
09-विद्युत देय	52.00	21.66	30.34
10-जलकर/जल प्रभार	1.50	0.62	0.88
11-लेखन सामग्री और फार्मा की छपाई	12.00	5.00	7.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	90.00	37.50	52.5
13-टेलीफोन पर व्यय	1.05	0.43	0.62
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2100.00	875.00	1225.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.17	0.07	0.10
19-विज्ञापन/बिक्री एवं विख्यापन व्यय	2.50	1.04	1.46
29-अनुरक्षण	180.00	75.00	105.00
39-औषधि तथा रसायन	6.00	2.50	3.50
41-भोजन व्यय	5500.00	2291.66	3208.34
42-अन्य व्यय	105.20	43.83	61.37
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2600.00	1083.33	1516.67
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.45	0.60	0.85
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत् सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	11.00	4.58	6.42
49-चिकित्सा व्यय	6.60	4.58	2.02
51-वर्दी	5.00	2.08	2.92
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	67.66	0.00	67.66
योग-	12440.46	5152.42	7288.034

(रूपये बहत्तर करोड़ अठ्ठासी लाख तीन हजार चार सौ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा न की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाआंे पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये। स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि से विद्यालयों के उपयोगार्थ सामग्री एवं सम्पूर्ति आदि का क्रय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा स्टोर परचेज रूल्स के तहत किया जायेगा।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

(6) उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(7) उपर्युक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/ दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

संख्या-128/2017/2274 (1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
10-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
11-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।